



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट – थाना धामपुर**

**दिनांक – 15.09.2024**

**थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 441/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/127(2) बी0एन0एस से संबंधित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 14.09.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई और घटना की वीडियो बनाई गई व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 441/24 धारा 115(2)/351(2)/352/127(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही –**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.नितिन अग्रवाल पुत्र स्व. अनिल अग्रवाल निवासी नगर पालिका कम्पाउन्ड थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 2.सनी पुत्र मेहन्द्र सिंह बाल्मिकी निवासी बाल्मिकी बस्ती जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 3.मनजीत पुत्र रामपाल बाल्मिकी निवासी बाल्मिकी बस्ती पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 4.हेमराज सिंह पुत्र बेद प्रकाश सिंह निवासी ग्राम खानुजट थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

- 1.नितिन अग्रवाल पुत्र श्री स्व. अनिल अग्रवाल निवासी नगर पालिका कम्पाउन्ड थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.सनी पुत्र मेहन्द्र सिंह बाल्मिकी निवासी बाल्मिकी बस्ती जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. मनजीत पुत्र रामपाल बाल्मिकी निवासी बाल्मिकी बस्ती पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
4. हेमराज सिंह पुत्र बेद प्रकाश सिंह निवासी ग्राम खानुजट थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-का0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3-का0 2366 मोनू थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4-का0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 15.09.2024

**थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 326/2024 धारा 115(2) / 118(1) / 109 / 351(2) / 352/190/191(2)/191(3) बी0एन0एस में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.08.2024 को वादी श्री धीरज निर्वाल पुत्र रमेश चन्द्र निवासी मौ0 अम्बेडकनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.08.2024 को वादी तथा उसका बडा भाई नीरज निर्वाल अपनी गारमेन्ट्स की दुकान पर बैठा था तभी 1.हेमेन्द्र उर्फ गोपी उर्फ टारजन निवासी मीरपुर 2.मोन्टी निवासी मौ0 नसीरीयान 3.अमित पुत्र योगेन्द्र 4.अरविन्द पुत्र सुम्मेर निवासीगम मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भाई नीरज निर्वाल के साथ गाली-गलौच करते हुए तथा जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों व लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वादी व वादी के भाई को गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 326/2024 धारा 115(2) / 118(1) / 109 / 351(2) / 352 बी0एन0एस बनाम हेमेन्द्र उर्फ गोपी उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.सत्यम पुत्र भंवर सिंह निवासी मौ0 जाटान थाना को0शहर बिजनौर 2.अंकुर पुत्र अजेन्द्र निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा व झालू थाना हल्दौर बिजनौर 3.शेखर पुत्र लाल सिंह उर्फ लल्लू सिंह निवासी गुजरपुरा थाना को0शहर बिजनौर व 4.अनिल पुत्र सुखवीर निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये तथा अभियोग में धारा 190/191(2)/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अंकुर पुत्र अजेन्द्र निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर व 2.अनिल पुत्र सुखवीर निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**नोट-** स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण अमित व सत्यम उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण मोन्टी व अरविन्द उपरोक्त दिनांक 21.08.2024 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके है तथा अभियुक्त हेमेन्द्र उपरोक्त थाना चांदपुर पर पंजीकृत

अभियोग में पूर्व से ही जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त शेखर पुत्र लाल सिंह उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1. अंकुर पुत्र अजेन्द्र निवासी मौ० प्रेमनगर कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. अनिल पुत्र सुखवीर निवासी मौ० चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-उ०नि० श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2-का० 689 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3-का० 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 15.09.2024

**जनपदीय पुलिस द्वारा 12 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 12 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	को० शहर	अरशद पुत्र अनवर निवासी काशीराम कॉलोनी कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2	को० शहर	संजय कुमार पुत्र रामकुमार सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना को० शहर
3	को० शहर	कौशल पुत्र सुरेश निवासी मुजफ्फरपुर केशो थाना को० शहर
4	को० शहर	होरी पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना को० शहर
5	को० शहर	सोमपाल सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम मौजीपुर थाना को० शहर
6	मण्डावली	रईस पुत्र इसरार निवासी ग्राम मिर्जापुर सैद उर्फ भूडडी थाना मण्डावली
7	चांदपुर	मौ० लियाकत पुत्र मौ० शाबिर निवासी मौ० शाकिब नगर नुमाईश ग्राउन्ड कस्बा चांदपुर
8	शिवालाकलां	महेश पुत्र सुम्मेर सैनी निवासी भैंसा मिलक थाना शिवालाकलां
9	को० देहात	नौशाद पुत्र खलील निवासी ग्राम बांकला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
10	को० देहात	रणजीत सिंह पुत्र लखन नि० ग्राम बकर नगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
11	स्योहारा	इमामुद्दीन पुत्र रज्जाक निवासी मौ० शेखान कस्बा स्योहारा
12	स्योहारा	अरविन्द कुमार पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम गेडाजूड थाना स्योहारा



थाना को० शहर



थाना मण्डावली



थाना चांदपुर



थाना शिवालाकलां



थाना कोतवाली देहात



थाना स्योहारा



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट-थाना चांदपुर

दिनांक 15.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471 / 24 धारा 191(2) / 191(3) / 190 / 333 / 115(2) / 352 / 351(3) / 110 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2024 को वादी राहत अली पुत्र हबीब अहमद निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि मौहल्ला काजीजादगान में स्थित वादी के रेस्टोरेंट में घुसकर उसके पड़ोस में रहने वाले अभियुक्तगण 1.गुलाब नबी पुत्र बन्ने 2.रईस अहमद पुत्र गुलाब नबी 3.अनीस पुत्र बन्ने 4. राहत पुत्र सरफराज 5.नफीस पुत्र बन्ने द्वारा वादी व वादी के भाई तसलीम के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की गई, जिससे उन्हे चोटें आयी तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 471 / 24 धारा 191(2) / 191(3) / 190 / 333 / 115(2) / 352 / 351(3) / 110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

दिनांक 14.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र बन्ने निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अनीस पुत्र बन्ने निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अवनीत मान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी 1154 चरनदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 671 जैकी कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी 585 सौरभ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।